अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति (सीटू)

पत्रिका

अप्रैल 2009 केवल सदस्यों के लिए मूल्य 3 रूपए

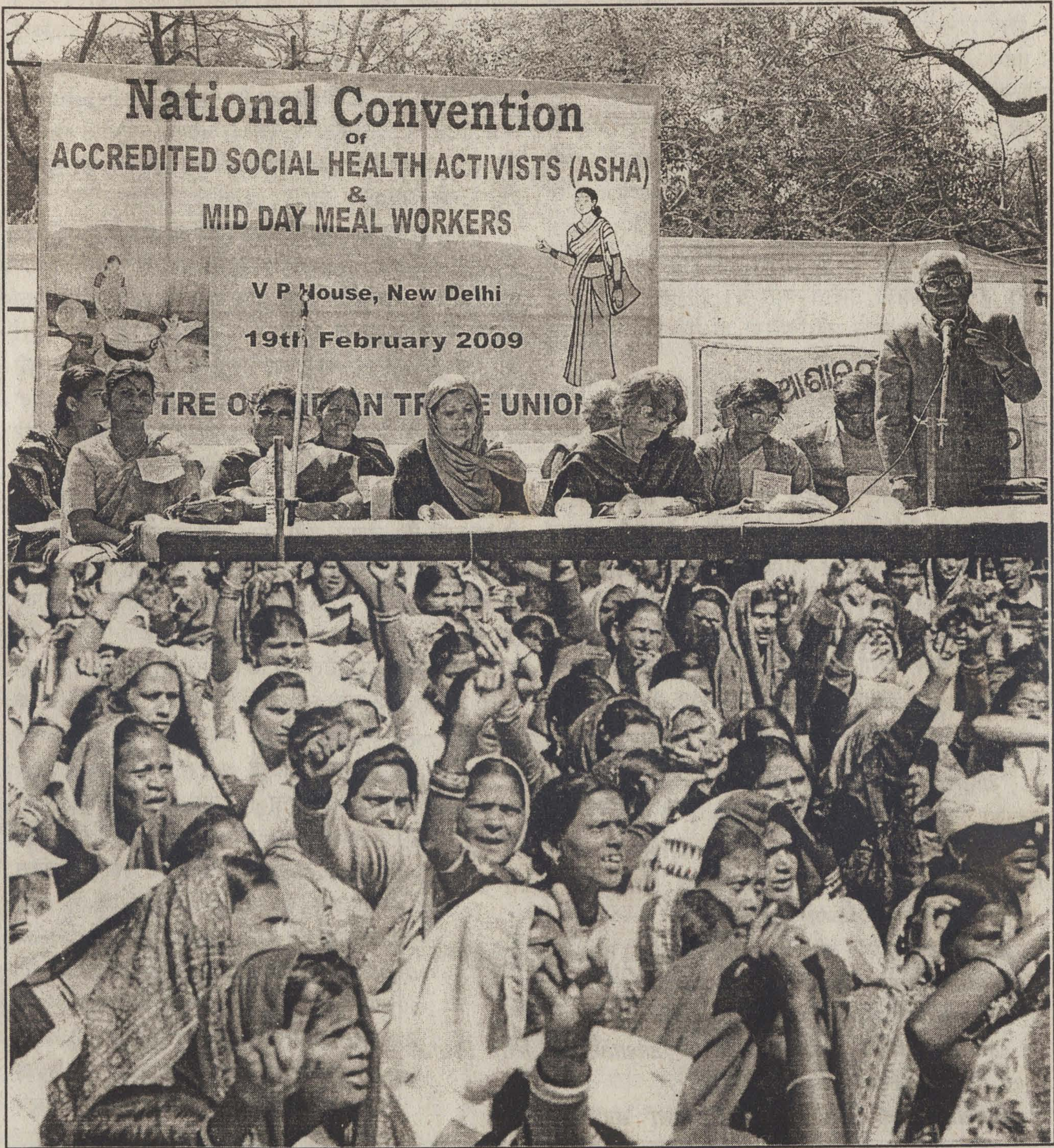

आशाओं और भोजनमाताओं के 19 फरवरी 2009 को नई दिल्ली में आयोजित पहले अखिल भारतीय सम्मेलन की झलकियां

आशाओं और भोजनमाताओं का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन

भारत सरकार जिन योजनाओं को अपनी अग्रणी केन्द्रीय योजनाएं कहते नहीं थकती और उनके माध्यम से अपने जन प्रेम तथा समाज की पीड़ित एवं शोषित श्रेणियों के लिए दिन रात टेसुए बहाती रहती है, उन्हीं योजनाओं में काम करने वाले हजारों लाखों श्रमिकों एवं कामकाजी महिलाओं के प्रतिनिधियों ने जब इस सम्मेलन में भाग लेकर अपनी असल हालत का वर्णन किया तो सरकार के दावों की पोल खुल गई। यह ठीक है कि ये मजदूर तथा कामकाजी महिलाएं उन योजनाओं अथवा कार्यक्रमों के लिए काम करती हैं और इस तरह वे अपने जैसे समाज के दूसरे गरीब वर्गों के दुःखों दर्दों में सहभागी बनते हैं किन्तु उनकी अपनी हालत क्या है। सम्मेलन में आकर अपनी बात कहने वाले प्रतिनिधियों के मुंह से असलियत जान कर कोई हैरानी नहीं होती।

सीआइटीयू की पहलकदमी से इस सम्मेलन का आयोजन हुआ और इस तरह आशा एवं मिड डे मील योजनाओं के अन्तर्गत काम करने वाले मजदूरों एवं कामकाजी महिलाओं के पहले सम्मेलन का आयोजन हो सका। सम्मेलन की कार्रवाई पूरे दो सत्रों में चली। जगह वही रही पर सत्र दो थे। पहला सत्र आशा कर्मचारियों और दूसरा सत्र मिड डे मील वर्कर्स (भोजनमातओं) का था।

आशा कर्मचारियों के सत्र में 514 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनमें जहां दक्षिण के राज्य आंध्र प्रदेश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया वहीं बिहार, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखण्ड तथा उत्तर प्रदेश जैसे उत्तरी राज्यों और उड़ीसा जैसे पूर्वी भारत के राज्य में काम करने वाले कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। पूरी कार्रवाई का संचालन एक अध्यक्ष मण्डल की ओर से किया गया जो ए आर सिंधु (केन्द्र), दिलशादा (जम्मू एवं कश्मीर), मिनाती मिश्र (उड़ीसा), धनलक्ष्मी (आंध्र प्रदेश), सुनीता प्रसाद (बिहार), गीता पांडे (उत्तराखण्ड) तथा वीना गुप्ता (उत्तर प्रदेश) पर आधारित था।

सीआइटीयू की राष्ट्रीय सचिव के हेमलता ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया और अपने स्वागत भाषण में उन्होंने उन परिस्थितियों तथा पृष्ठभूमि के बारे में प्रतिनिधियों का बताया जिनके चलते सीआइटीयू की ओर से इन वर्कर्स को एकजुट करने के लिए प्रयास किए गए जिनकी परिणति इस सम्मेलन के रूप में हुई है। सीआइटीयू के अध्यक्ष एम के पन्धे को इस बात का मलाल था कि भले ही आशा कर्मचारियों की ओर से समाज की बहुमूल्य सेवा की जा रही है किन्तु भारत सरकार इन्हें वर्कर मानने से ही इन्कारी है। उसने अभी तक इन्हें मान्यता नहीं दी है। सरकार द्वारा न केवल उनका शोषण किया जा रहा है बल्कि उनके प्रति लापरवाही वाला रुख भी अपनाया जा रहा है। पंधे ने आशा कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे एकजुट हो, संगठित हो और मेहनतकश अवाम की दूसरी श्रेणियों के कंधे से कंधा मिला कर पूरी ताकत के साथ अन्याय, अत्याचार व शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ें।

रंजना निरुला (केन्द्र) की ओर से सम्मेलन का घोषणा पत्र और मांग पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद उस पर बहस की गई जिसमें 7 कर्मचारियों ने भाग लिया। इन सभी साथियों ने मांग पत्र को अपना समर्थन दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह उन्हें लगभग मुफ्त में काम करना पड़ता है और सरकार इसके बदले में जो ''पारिश्रमिक'' देती है वह न के बराबर होता है। उन्हें दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का भुगतान भी नियमित

आशाओं की मांगें

1. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को एक स्थाई कार्यक्रम बनाया जाए।

2. आशाओं को ग्राम स्तरीय स्वास्थ्य वर्कर के रूप में नियमित किया जाए और जब तक ऐसा नही होता है उन्हें मासिक भुगतान किया जाए।

3. सभी प्रोत्साहनों का तथा टीए / डीए का बैंकों के माध्यम से नियमित तथा तेजी से भुगतान हो।

4. सामाजिक सुरक्षा लाभ मुहैया कराए जाएं।

5. सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आशाओं के लिए विश्राम कक्षों की व्यवस्था की जाए।

6. आशाओं का परेशान किया जाना बंद हो।

रूप से नहीं किया जाता। उन्होंने अपनी उन समस्याओं के बारे में भी बताया जो उन्हें काम के दौरान झेलनी पड़ती हैं। उल्लेखनीय है कि कुछ राज्यों में उन्होंने इसके खिलाफ जुझारू संघर्ष चलाए हैं जिनके परिणामस्वरूप उनकी कुछ मांगें सरकारों को मान लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने पूरी दृढ़ता से कहा कि उनका संघर्ष उस समय तक जारी रहेगा जब तक उनकी सभी मांगें नहीं मानी जातीं या वे अपने अधिकार हासिल नहीं कर लेतीं।

सीपीआइ (एम) की पोलित ब्यूरो सदस्य तथा संसद सदस्य कामरेड बृंदा कारात ने इस अवसर पर उनका अभिनन्दन करते हुए बताया कि उनकी ओर से संसद में एक संशोधन पेश किया गया है जिसमें कहा गया है कि आशा कर्मचारियों को नियमित किया जाए और उन्हें तब तक आंगनवाड़ी कर्मचारियों के समान पारिश्रमिक दिया जाए जब तक उन्हें नियमित नहीं किया जाता। सम्मेलन की ओर से सर्वसम्मति से घोषणा पत्र पारित कर दिया गया और अंत में सीआइटीयू के मार्ग दर्शन में काम करने वाली आशा कर्मचारियों की सभी यूनियनों के एक समन्वय समिति का गठन किया गया। आखिर में 18 मार्च 2009 को आशा कर्मचारियों का मांग दिवस मनाने का फैसला किया गया।

भोजन माताओं की मांगें

1. दोपहर का भोजन योजना का निजीकरण न किया जाए।

2. दोपहर का भोजन योजना में काम करने वालों को स्कूल के कर्मचारियों के रूप में मान्यता दी जाए।

3. दोपहर भोजन का योजना के लिए काम करने वाले सभी लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जाएं।

4. उनके लिए रोजगार की सुरक्षा तथा न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित की जाए।

5. जब तक ऐसा नही हो जाता है, स्वयं सहायता ग्रुपों के बिलों का नियमित भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

6. सभी दोपहर भोजन कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ, सुरक्षा भत्ता और धुलाई भत्ता दिए जाएं।

7. दोपहर भोजन कर्मियों को परेशान किया जाना तथा इस कार्यक्रम में भ्रष्टाचार बंद हो।

8. सभी स्कूलों में भोजन पकाने के लिए समुचित बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं।

उसी दोपहर मिड डे मील वर्कर्स (भोजनमाताओं) की कन्वेंशन का आयोजन हुआ जिसमें 174 वर्कर्स ने भाग लिया। कन्वेंशन में भाग लेने वाले वर्कर्स में अधिकतर महिलाएं थीं। उनमें कुछ पुरुष भी थे जो हिमाचल प्रदेश में मिड डे मील वर्कर्स के रूप में काम करते हैं। कल्पना (कर्नाटक), लिल्ली दास (असम), अनिला (आंध्र प्रदेश), माधवी भण्डारी (उत्तराखण्ड), स्वर्ण कुकाते (महाराष्ट्र), सरस्वती अम्मा (केरल), भीखन राम (हिमाचल प्रदेश) तथा सुकांकी पांडा (उड़ीसा) पर आधारित अध्यक्ष मण्डल ने कन्वेंशन की कार्रवाई का संचालन किया।

सीआइटीयू के महासचिव मोहम्मद अमीन ने कन्वेंशन का उद्‌घाटन किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि मिड डे मील कर्मचारियों को एक मजबूत यूनियन के रूप में संगठित किया जाना चाहिए ताकि उनकी उचित मांगें मनवाई जा सकें। इसके बाद ए आर सिंधु ने कन्वेंशन के घोषणा पत्र के साथ–साथ मिड डे मील कर्मचारियों का मांग पत्र पेश किया जिस पर बहस की गई और दस राज्यों के प्रतिनिधियों ने इस बहस में भाग लिया। बहस में भाग लेने वालों में मणिपुर तथा असम जैसे उत्तरी पूर्वी राज्यों से आए प्रतिनिधि भी शामिल थे। इन सभी प्रतिनिधियों ने बताया कि मिड डे मील कर्मचारियों को किस तरह की शोचनीय एवं भयावह स्थितियों में काम करना पड़ता है और काम करने पर उन्हें कितना कम पारिश्रमिक दिया जाता है।

बाद में सीआइटीयू के राष्ट्रीय सचिव तपन सेन संसद सदस्य के नेतृत्व में मिड डे मील कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमण्डल शिक्षा सचिव से मिलने गया जिन्होंने स्वीकार किया कि मेहनतकश अवाम की इस श्रेणी की मांगों को पहली बार उनके ध्यान में लाया गया है। उन्होंने बताया कि भविष्य में मिड डे मील कर्मचारियों की मांगों एवं स्थितियों के बारे में दिशा निदेशों का निर्धारण करते समय सीआइटीयू द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार किया जाएगा। कन्वेंशन द्वारा सर्वसम्मति से घोषणा पत्र एवं मांग पत्र पारित कर दिए जाने के बाद मिड डे मील कर्मचारियों की यूनियनों की एक समन्वय समिति बनाई गई और 26 मार्च को मिड डे मील कर्मचारियों के मांग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। □

आशा कर्मचारियों और भोजनमाताओं ने मनाया अखिल भारतीय मांग दिवस

सीआइटीयू की पहलकदमी से देश में पहली बार 19 फरवरी 2009 को वी पी हाउस, नई दिल्ली में आशाओं और मिड डे मील कर्मचारियों (भोजनमाताओं) की राष्ट्रीय कन्वेंशन आयोजित की गई जिसमें आशाओं और भोजनमाताओं की समस्याओं पर विस्तार से विचार किया गया और एक घोषणापत्र प्रस्तुत किया गया।

इस घोषणापत्र पर विस्तार पूर्वक विचार करने के बाद आशा कर्मचारियों और भोजनमाताओं की मांगें तय की गई और 18 मार्च 2009 को आशाओं का और 26 मार्च 2009 भोजनमाताओं के मांग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। बहुत से राज्यों में यह मांग दिवस मनाया गया। पंद्रहवीं लोकसभा चुनावों के अभियान के चलते हमें केवल कुछ राज्यों से ही रिपोर्ट प्राप्त हो सकीं जोकि आपके समक्ष प्रस्तुत हैं:

जम्मू एवं क□मीर

दक्षिणी कश्मीर में आशा कर्मचारियों ने लाल चौक, श्रीनगर में धरना दिया। इस धरने में लगभग सभी जिलों से जिसमें अनंतनाग, कुलगांव, पुलवर्णा, और शोपियां शामिल हैं, की आशा कर्मचारियों ने भाग लिया।

इस दिन आशा कर्मचारी डिस्ट्रीक्ट हैडक्वार्टर्स पर एकत्र हुईं और रैली निकालकर राज्य राजधानी **श्रीनगर** में लाल चौक प्रताप पार्क में पहुंचीं। धरने में लगभग 900 आशा कर्मचारियों ने भाग लिया। धरने को मुख्य रूप से समन्वय समिति के नेताओं अब्दुल रशीद नज़र (सीसीटीयू), मुज़फर अहमद (सीसीटीयू), अनीस अहमद (सीसीटीयू) और जावेद अहमद (सीआइटीयू) ने संबोधित किया। धरना कार्यवाही समाप्त होने पर आशा कर्मचारियों ने प्रेस कॉलोनी, श्रीनगर तक मार्च किया और नारे लगाए। उनकी मुख्य मांगें थीं कि डिलिवरी केसों में उनके प्रोत्साहनों का भुगतान किया जाए और कम से कम 5000रू वेतन निर्धारित किया जाए।

उत्तर प्रदे□ा

उत्तर प्रदेश में जालान, मोरादाबाद, फैज़ाबाद, बरेली, बीजनापुर, सुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर जिलों में विभिन्न प्रकार से आशा कर्मचारी मांग दिवस मनाया गया जिसमें सैंकड़ों कर्मचारियों ने भाग लिया। गौरतलब है कि इन सभी जिलों ने 19 फरवरी को हुई राष्ट्रीय कन्वेंशन में भाग लिया था।

जालान में कलैक्टर कैम्पस पर एक धरना आयोजित किया गया जिसमें लगभग 100 आशा कर्मचारियों ने भाग लिया। उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में ज़ोर ज़ोर से नारे लगाए और 500 रू के मानदेय के लिए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया। **मोरादाबाद** में अम्बेडकर पार्क में एक विशाल खुली बैठक की गई जिसमें श्रीमती कृष्णा शर्मा, राज्य कार्यकारी अध यक्ष रीना दिवाकर, जिला सचिव और चंद्र पाल सिंह आज़ाद सीटू जिला सह सचिव ने बैठक को सफल बनाने के लिए सहयोग दिया। वक्ताओं ने बैठक में भाग लेने वाले साथियों को संबोधित करते हुए सरकार से मांग की कि एनएचआरएम को मजबूत किया जाए और आशा साथियों का मानदेय भुगतान किया जाए। बैठक के अंत में एक पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने जिला न्यायाधीश को ज्ञापन प्रस्तुत किया। **फैज़ाबाद** में लाल बाग में एक विशाल बैठक में आशाएं एकत्रित हुईं और बैठक का संचालन किया। यहां से उन्होंने जोर जोर से अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाते हुए जुलूस निकाला और कलैक्टर कैम्पस पहुंचकर जिला न्यायाधीश को मांगपत्र सौंपा। **बरेली** में एक प्रदर्शन किया गया जिसमें लगभग 50 आशाओं ने भाग लिया और जिला न्यायाधीश को मांगपत्र सौंपा। **बीजनापुर, सुलतानपुर, अम्बेडकरनगर** में भी आशा मांग दिवस आयोजित किया गया।

उत्तराखण्ड

आशा कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 18 मार्च, 2009 को **देहरादून** में धरना दिया। इस अवसर पर आयोजित जन सभा को सीआइटीयू की राज्य समिति के महासचिव कामरेड वीरेन्द्र भण्डारी के अलावा आशा कर्मचारियों की प्रमुख नेत्रियों सर्वेश्वरी खण्डूरी, इन्दु नौडियाल, हेमलता इत्यादि ने सम्बोधित किया। सभा की अध्यक्षता सीआइटीयू नेता पुरुषोत्तम पुरी ने की। वक्ताओं ने केन्द्र और राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि एक ओर तो सरकार की ओर से महिला सशक्तिकरण, महिला अधिकारों व विकास की बातें जोर–शोर से की जाती हैं जबकि दूसरी ओर आशा के अन्तर्गत काम करने वाली गरीब महिलाओं को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं दी जातीं। इन महिलाओं को गर्भवंती महिलाओं को सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अनेक बार अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है और न ही उन्हें पर्याप्त पारिश्रमिक दिया जाता है।

भोजनमाताओं का मांग दिवस 26 मार्च 2009 को **उधमसिंह नगर, रूद्रप्रयाग,** एवं **अल्मोड़ा** जिलों में मनाया गया।

मेहनतकशों से सीटू की अपील

पिछले 5 वर्षों में यू.पी.ए. ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कानून या वन जनजाति कानून अथवा किसानों के कर्ज की माफी आदि जो कुछ भी आम आदमी के लिए कदम उठाए गए उसके पीछे यू.पी.ए. की नीयत नहीं बल्कि सरकार को समर्थन कर रही वामपंथी पार्टियों तथा मजदूरों एवं अन्य जन संगठनों के आन्दोलन का दबाव रहा है। याद रहे कि यू.पी.ए. शासन के 5 वर्षों के दौरान मजदूर वर्ग ने 3 बड़ी अखिल भारतीय हड़तालें की हैं।

इसी के साथ–साथ यू.पी.ए. सरकार ने अनेक जन विरोधी एवं मजदूर विरोधी कदम उठाए है। इस सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), मध्यम एवं लघु उद्योगों को श्रम कानूनों से छूट देने, सार्वजनिक उद्यमों में ठेकेदारी एवं उनको औने पौने दामों पर विनिवेश, पेंशन फण्ड का निजीकरण, बैंक एवं बीमा क्षेत्र को अनियंत्रित करने और खुदरा व्यापार में विदेशी पूँजी की छूट आदि द्वारा राष्ट्रीय साझा न्यूनतम् कार्यक्रम (NCMP) का उल्लंघन करने की कोशिशें की, लेकिन इन खतरनाक कदमों में से अधिकांश को वामपंथी पार्टियों तथा देशव्यापी ट्रेड यूनियन कार्यवहियों के दबाव में वापस लेना पड़ा।

आम आदमी की हितैशी सरकार, यू.पी.ए. का दावा – एक सफेद झूठ

यू.पी.ए. सरकार अब अपनी अद्वितीय सफलता का गुणगान कर रही है कि उसके ही दौर में आजादी के बाद पहली बार सकल घरेलू उत्पादन में 7 प्रतिशत की दर लगातार 3 वर्ष तक वृद्धि हुई है। यू.पी.ए. सरकार का उक्त दावे पोल निम्न तथ्यों से उजागर हो जाती है।

- ग्रामीण आबादी का 65 प्रतिशत से अधिक के जीवन स्तर में जबरदस्त गिरावट आयी है। और 1 लाख 50 हजार से अधिक किसानों ने आत्म हत्याएं की हैं।
- इसी दौर में ही बेरोजगारी की तीव्रता अथवा रोजगार की उपलब्धता में भारी गिरावट देखी गयी है।
- गरीबों की भुखमरी के मामले में दुनियां के 88 देशों में भारत का स्थान 66वाँ है यहाँ तक कि भारत, सबसे बदहाली के शिकार 25 अफ्रीकी देशों से भी बदतर है और एशिया में सिर्फ बंगलादेश को छोड़कर सबसे नीचे है।
- भुखमरी के मामले में अधिकांश राज्यों की हालत गम्भीर बनी हुई है। देश की 95 प्रतिशत आबादी के 17 राज्यों में से 12 की हालत अत्यन्त गम्भीर है, जिसमें मध्य प्रदेश सर्वाधिक भुखमरी वाला राज्य है।
- 23 करोड़ जनता कुपोषण का शिकार है।
- देश की आधी अधिक महिलाएं खून की कमी का शिकार है।
- पाँच वर्ष की आयु से कम के 42.5 प्रतिशत बच्चों का वजन औसत से भी कम है।
- पाँच वर्ष की आयु से कम के बच्चों की मृत्युदर 7.4 प्रतिशत अर्थात् विश्व में सर्वाधिक है।
- देश की कुल आबादी का 77प्रतिशत मात्र रू० 20/– प्रतिदिन पर ही गुजारा करने को मजबूर है।

70.5 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों, 52 प्रतिशत कृषि मजदूर परिवारों, 60.7 प्रतिशत ग्रामीण अनुसूचित जाति के परिवारों तथा 55.4 प्रतिशत जनजाति परिवारों के पास या तो राशन कार्ड है। ही नहीं, यदि है भी तो गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी का कार्ड है।

मजदूरों और गरीबों के बारे में

वर्तमान श्रम कानूनों के कारण जो थोड़ी सी सुरक्षा मजदूरों के अधिकारों को प्राप्त है, उसे भी एन.डी.ए. तथा यू.पी.ए. दोनों ही पूरी तरह से समाप्त करने पर उतारू रही है। लेकिन मजदूर आँन्दोलन तथा संसद में वामपंन्थी पार्टियों के तीखे विरोध के चलते, इसे पूरी तरह से कर पाने में सफल नहीं हो सके है। न्यूनतम् साझा कार्यक्रम किए गए वायदें को दरकिनार करते हुए यू.पी.ए. सरकार ने श्रम कानूनों में मालिकान समर्थक परिवर्तन जैसे "हायर एण्ड फायर" और काम के घंटे एवं वेतन में परिवर्तन करने की मनमानी छूट देने जैसे बदलाव करने कोशिशें की हैं। एन.डी.ए. तथा यू.पी.ए. दोनों ने, श्रम कानूनों में इस तरह के मालिकान समर्थक परिवर्तन करने में असफल रहने पर अपनी रणनीति बदल दी कि यदि कानून को बदला नहीं जा सकता तो कानून का उल्लंघन तो किया ही जा सकता है। पिछले 11 वर्षों से यही नीति लागू होती नजर आ रही है। श्रम कानूनों को लागू कराने की जिम्मेदारी सरकारी मशीनरी की ही होती, जिससे यह काम वापस लेकर मालिकान को मजदूरों का खुला शोषण करते हुए मुनाफे को कई गुना बढ़ाने का मौका दे दिया गया है। यह जंगलराज तमाम औद्योगिक क्षेत्रों में साफतौर पर देखने में आता है।

- संगठित क्षेत्र में 60 प्रतिशत से अधिक मजदूरों को आज भी राज्य सरकारों द्वारा घोषित न्यूनतम् वेतन से भी कम दिया जा रहा है। जबकि यह न्यूनतम् वेतन बहुत कम है, क्योंकि कई राज्य सरकारों ने पिछले 6 वर्षो से न्यूनतम् वेतन में संशोधन तक नहीं किया है। और असंगठित क्षेत्र में तो हालत और भी अधिक गम्भीर है जहाँ 77 प्रतिशत से अधिक मजदूरों को भी सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम् वेतन नहीं मिल रहा है।
- संविद श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) कानून के प्रावधानों की

अनदेखी इस कदर की जा रही है कि संगठित क्षेत्र में ही 70 प्रतिशत से अधिक मजदूर ठेके पर रखे जा रहे है।

☐ एन.डी.ए. तथा यू.पी.ए. दोनों ने अपने शासन काल में बड़े पैमाने पर काम को ही ठेके पर देने की प्रवृत्ति (आऊट सोर्सिंग) को बढ़ावा दिया है। संगठित क्षेत्र के रेलवे, एयर लाईन्स, कोयला खदानों जैसे बड़े उद्योगों के काम का अच्छा बड़ा भाग बाहर ठेके पर देकर, छोटी उद्योगिक ईकाईयों, आपूर्तिकताओं, सेवा प्रदाताओं के यहाँ कार्यरत मजदूरों का शोषण करके मोटा मुनाफा बनाया जा रहा है।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि एन.डी.ए. शासन से लेकर यू.पी.ए. सरकार तक, मालिकों द्वारा श्रम कानूनों को धता बताकर, मजदूरों के शोषण तथा लूट में मालिकों की खुली मदद करने में लगे रहे। एन.डी.ए. एवं यू.पी.ए. ब्राण्ड की राज्य सरकारों का भी लगभग यही हाल है कि सरकार और मालिकान यूनियन बनाने तक की इजाजत नहीं देते।

वामपंथ शासित राज्यों में ही सभी श्रम कानूनों को पूरी तरह से लागू किया जा रहा है, और श्रम कानूनों को लागू करने वाली मशीनरी मजदूरों की शिकायतों पर तुरन्त कार्यवाही करती है। अपनी जायज माँगों के लिए मजदूरों द्वारा किए जा रहे शान्तिपूर्ण प्रदर्शनों आदि के मामले में नागरिक प्रशासनिक मशीनरी/पुलिस को दखलन्दाजी करने की इजाजत इन राज्यों में नहीं है। वामपंथी सरकारों ने अपने राज्यों में केन्द्र सरकार द्वारा बार–बार जोर देने के बावजूद भी हड़ताली कर्मचारियों के विरूद्ध एसमा लागू करने से साफ इन्कार कर दिया। ताजा उदाहरण पिछली जनवरी में ऑयल सैक्टर ऑफीसर्स की हड़ताल है।

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून – एक धोखा

संसद के दोनों सदनों द्वारा पास हुए "असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा कानून 2008" पर यू.पी.ए. सरकार शोर मचाकर दावा कर रही है कि उसने 43 करोड़ असंगठित मजदूरों के लिए स्वास्थ्य बीमा, वृद्धावस्था पेंशन, अपंगता हित लाभ आदि देने का अति महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जबकि :–

☐ इस कानून में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है कि कितने समय में सभी असंगठित मजदूरों को इस कानून के हितलाभों के प्रभाव क्षेत्र में ले लिया जाएगा।

☐ इस कानून में शिकायत निवारण मशीनरी की कोई व्यवस्था नहीं है कि कानून का पालन न होने पर मजदूर किसे और किस प्रकार शिकायत प्रस्तुत कर सकेगा।

☐ इस कानून में यह भी प्रावधान नहीं किया है कि सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ पूरे देश के असंगठित मजदूरों को पहुँचाने के लिए समर्पित फण्ड की व्यवस्था क्या होगी।

उपरोक्त प्रावधानों के बिना यह कानून बिना कोई वास्तविक राहत पहुँचाए सिर्फ शुभ कामनाऐं जाहिर करने जैसा है। इस कानून के तहत लाभ देना या न देना सरकार की मर्जी पर निर्भर करेगा, क्योंकि इस कानून में सरकार के लिए बंधनकारी व्यवस्था नहीं है।

वैकल्पिक व्यवस्था – वामपंथी सरकारों का प्रोत्साहन

जनता की हितैषी समझ के आधार पर पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार और केरल की वाम जनवादी सरकार ने समाज कल्याण के लिए पैकेज की घोषणाऐं की है। जो साफतौर पर यू.पी.ए. सरकार से अलग ही नजर आती है। लाजमी ही है कि राज्य सरकारों की अपनी सीमाऐं है। परन्तु दिशा तो अलग ही है। पश्चिम बंगाल में स्पेशल पैकेज के तहत रू० 5106 करोड़ में से अधिकांशतः सरकारी खजाने से ही है, जैसे राज्य की विशेष आवास योजना के लिए रू० 1000 करोड़, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोगों के लिए रू० 2 प्रति किलो की दर से चावल मुहैया कराने के लिए रू० 370 करोड़, स्वः रोजगार के समूहों के लिए बैंकों से मात्र 4 प्रतिशत की सस्ती दर पर कर्ज मुहैया कराने के लिए रू० 30 करोड़, बागवानी, पशु संसाधन विकास एवं मत्स पालन में रोजगार के विशेष कार्यक्रम के लिए रू० 30 करोड़, हथकरघा उद्योग को राहत एवं विकास के लिए रू० 55 करोड़, धान और अन्य खाद्यान्नों को रखने के लिए ब्लॉक स्तर पर गोदाम बनाने के लिए रू० 30 करोड़, प्रत्येक ब्लॉक में लघु उद्योग के विकास के लिए रू० 125 करोड़, बड़े और मझोले उद्योगों के लिए भूमि बैंक स्थापित करने के लिए रू० 500 करोड़, सड़क, पुल एवं पूर्व–पश्चिम मैट्रो रेल के विकास के लिए रू० 375 करोड़, स्कूलों में 1000 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए रू० 150 करोड़, 50 हजार प्राथमिक शिक्षक नियुक्त करने के लिए रू० 250 करोड नए मदरसे स्थापित करने के लिए रू० 30 करोड़। अल्पकालिक स्कूल/कालेज टीचर्स, पैरा टीचर्स, सहायकों आदि शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वालों की वेतन बढ़ोत्तरी, राज्य की विशेष पेंशन स्कीम का सभी श्रेणियों में 25 प्रतिशत विस्तार करने, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए प्रोवीडेन्ट फण्ड स्कीम का विस्तार और अधिक 7 लाख मजदूरों तथा और अधिक 5 लाख भूमिहीन मजदूरों में करने के लिए रू० 250 करोड़, स्वास्थ्य ढाँचें में सुधार के लिए रू० 200 करोड़, अन्य व्यवस्थाओं के अतिरिक्त आँगनबाड़ी कर्मचारियों सहायकों, स्वास्थय कर्मचारियों, आदि के वेतनों में वृद्धि के लिए रू० 95 करोड़ का प्रावधान किया है।

इसी प्रकार केरल की वाम जनवादी सरकार ने जो पैकेज जारी किया है उसमें रू० 2 प्रति किलो की दर से चावल मुहैया कराने, राज्य की विशेष पेंशन स्कीम के तहत देय पेंशन राशि में वृद्धि करने, 41,500 परिवारों को आवास ऋण पर ब्याज राहत तथा पेय जल, सिंचाई, अन्य सार्वजनिक योजनाओं आदि के

ढाँचागत विकास के लिए रू० 10,000 करोड़ का पैकेज, ई.एम. एस. आवास योजना, राज्य के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को पुर्नजीवित करने के लिए रू० 800 करोड़, केन्द्र सरकार द्वारा घोषित धान खरीद मूल्य पर रू० 2 प्रतिकिलो की अतिरक्त"वर्षद्धि, किसानों को कर्ज राहत के लिए रू० 25 करोड़, मछुआरों को कर्ज राहत के लिए रू० 10 करोड़ और मंदी के शिकार होकर वापस केरल लौट रहे अनिवासी केरलियों के कल्याण के लिए फण्ड की व्यवस्था की गयी है।

काँग्रेस और भाजपा दोनों को हराओ

पूरा देश इस समय बहुत संवेदनशील चौराहे पर खड़ा है। यू.पी.ए. और एन.डी.ए. दोनों के शासनकाल का देश व जन विरोधी रिकार्ड एक सबक के रूप में आम जनता के सामने है। विश्व स्तरीय वित्तीय संकट ने इस सच्चाई को भी सामने ला दिया है कि वैश्वीकरण की नीतियाँ पूरी तरह गलत और जन विरोधी ही थी और वामपंथी पार्टियों एवं वामपंथी ट्रेड यूनियनों का इन नीतियों से विरोध एक दम उचित ही था। यही एक सच्चाई है कि हम अपने वित्तीय क्षेत्र को सम्पूर्ण अनियंत्रित और सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण न होने दें, तभी हम अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं। सिर्फ वामपंथी पार्टियों और मजदूर वर्ग के आन्दोलन ने ही इन राष्ट्रविरोधी कदमों पर रोक लगायी है। हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम ऐसा न होने दे और काँग्रेस एव भाजपा दोनों कैं गठबन्धनों को पूरी शिकस्त दें। वामपंथी पार्टियों का आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण ही जन समर्थक विकल्प और जनता के पूर्ण विकास की दिशा दे सकता है। देश की जनता की एकता और देश की अखंण्डता की रक्षा कर सकता है। देश में चल रही वामपंथी सरकारों ने तमाम तरह की सीमाओं के बावजूद भी यह साबित किया है कि जन समर्थक नीतियों पर चलते हुए देश के विकास का ठोस विकल्प संभव है।

देश और मेहनतकश जनता की रक्षा के लिए सीटू सभी मजदूरों, कर्मचारियों और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले सभी नागरिकों से अपील करती है कि अपने वोट का इस्तेमाल सोच समझकर करें और वामपंथी, जनवादी एवं धर्मनिरपेक्ष दलों को वोट तथा समर्थन देते हुए काँग्रेस व भाजपा दोनों को करारी शिकस्त देकर सत्ता से दूर रखें।

□

अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति की बैठक

अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति (सीआइटीयू) की बैठक 26 फरवरी 2009 को बी टी आर भवन, नई दिल्ली में हुई। बैठक में दिल्ली, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और सीआइटीयू केंद्र से 18 सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में संयोजिका द्वारा प्रस्तुत विस्तृत रिपोर्ट पर विचार विमर्श किया गया।

बैठक में कामकाजी महिलाओं की समन्वय समितियों की कार्यप्रणाली पर भी विचार किया गया जिसे 27–29 जनवरी को मुम्बई में हुई सीआईटीयू की कार्यकारिणी कमेंटी की बैठक में पारित किया गया था।

घोषणापत्र में कार्यकारिणी कमेटी द्वारा पारित क़ामकाजी महिलाओं के बीच किए ज़ाने वाले कार्यो को दोहराया गया।

राज्य कामगार महिला समन्वय समितियों को आशाओं, भोजनमाताओं और अन्य कामकाजी महिलाओं को संगठित करने के मुद्दे को अपने राज्यों में सीआइटीयू द्वारा उठाने की आवश्यकता है।

बैठक में कामगार महिला समन्वय समितियों की कार्यप्रणाली पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला और उसके बाद राज्य और जिला स्तरीय कार्यशालाएं आयोजित करने की आवश्यकता महसूस की गई।

इस वर्ष अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति के तीन दशक पूरे होने और 10 अप्रैल को विमल रणदिवे के जन्मदिवस पर देशभर में कक्षाएं और अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। बैठक में 10 अप्रैल को **"आर्थिक संकट और महिला मजदूर"** विषय को रेखांकित करते हुए मनाए जाना तय किया गया।

बैठक में निम्न निर्णय लिए गए:–

1. भाजपा और कांग्रेस को शिकस्त देने और आगामी लोकसभा चुनावों में वामपंथ की ताकत बढ़ाने के लिए कार्य
2. कामकाजी महिलाओं में "पूंजीवादी व्यवस्था की जनता के आधारभूत मुद्दों को हल कर पाने में विफलता और समाजवाद एकमात्र विकल्प" के बारे में जागरूकता फैलाना
3. अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति के तीस वर्ष पूरे होने के अवसर पर कक्षाएं, अभियान इत्यादी आयोजित करना।
4. यह सुनिश्चित करने के लिए पहलकदमी करना कि कामगार महिला कार्यकर्ताओं के लिए राज्य और जिला स्तर पर कक्षाएं आयोजित की जाएं।
5. 'द वाइस ऑफ द वर्किंग वुमेन' और 'पत्रिका' की सर्कुलेशन बढ़ाना जिसमें आगामी सीआइटीयू सम्मेलन तक 'वाइस' की सर्कुलेशन 10,000 प्रतियों तक पहुंचाना।
6. सीआइटीयू में प्रस्ताव रखना कि अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति के तीस वर्ष पूरे होने के अवसर पर सीआइटीयू की अन्य पत्रिकाओं के साथ 'वाइस' का एक विशेष अंक प्रकाशित किया जाए।

□

वैकल्पिक नीतियां

15 वीं लोकसभा चुनावों के पांच चरण 16 अप्रैल से आरम्भ होंगे। बहुत से राजनैतिक दल केंद्रीय सत्ता हासिल करने की होड़ में लगे हैं और जाति, समुदाय, क्षेत्र, परिवार और सबसे महत्पूर्ण धन और बाहुबल की शक्ति से कुर्सी हासिल करने के लिए उध ेड़बुन में बहुत ही व्यस्त हैं। ये भली भांति जानते हैं कि किस समय किस ताकत, किस युक्ति का प्रयोग करना है। नेताओं का दल बदलना, एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी से टिकट लेकर चुनाव में खड़ा होना इत्यादी सब तमाशे बेइंतहा जारी हैं। प्रचार भी खूब जोर शोर से चल रहा है। हालांकि इन तमाशों से भारतीय वोटर्स का कुछ भला तो होने नही वाला परन्तु मनोरंजन तो खूब हो रहा है। पर मनोरंजन भी आखिर कब तक? शायद चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक या हो सकता है नई सरकार के बनने तक परन्तु उसके बाद क्या? क्या कोई आम आदमी के हित के लिए नीतियां प्रस्तुत करेगा? आम जनता इन राजनैतिक पार्टियों से अपने दैनिक मुद्दों से संबंधित नीतियों के बारे में सुनना चाहती है जैसे महंगाई, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, उनकी छोटी छोटी बचतों पर ब्याज दर, प्रोविडेंट फंड, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, और उनकी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार की नीतियां। आखिर यही तो हैं असल मुद्दे! परन्तु इन मुद्दों के बारे में प्रमुख दल कांग्रेस और भाजपा दूर ही रहने की कोशिशें कर रहे हैं क्योंकि इन्हें समझ ही नही आ रहा कि आखिर आम जनता के हितों से इनका क्या फायदा होगा? पहले भजपा के नेतृत्व वाली एनडीए और फिर कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए आम जनता के हित के लिए तो कुछ कर ही नही पाए, परन्तु पूंजीपतियों को राहत देने में जरूर कुछ हद तक कामयाब हुए हैं।

जनता के आम मुद्दों को संबोधित करने के लिए केवल वामपंथ ही सामने आया हैं। वामपंथ द्वारा शासक दलों की नीतियों में केवल कुछ बदलाव नहीं बल्कि नीतियों को पलटने पर जोर दिया गया है। देश की प्रमुख वाम ताकत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), मजदूर वर्ग के ऐसे ही आम मुद्दों से संबंधित घोषणापत्र लेकर जनता के समक्ष है जिसके प्रमुख अंश प्रस्तुत है :–

☐ *सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विशाल संचित कोषों का उपयोग कर, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का आक्रामक तरीके से विस्तार*

☐ *मजदूरों के हित के लिए रोजगार में कटौतियों पर रोक लगाई जाए; श्रम कानून का उपयुक्त तरीके से सहारा लेकर छंटनियों व बैठकियों को रोका जाए; मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा के उपायों को बढ़ाया जाए; मजदूरों के लिए मजदूरी व वेतन में कटौतियों को रोका जाए; लागत में कटौतियों का बोझ मुनाफा कमाने वालों द्वारा ही उठाया जाए।*

☐ *रोजगार गारंटी का शहरी इलाकों तक विस्तार किया जाए। रोजगार गारंटी का विस्तार कर सभी व्यस्क लोगों को और जितने भी दिन के काम की उनकी मांग हो, काम दिलवाया जाए; नरेगा के अन्तर्गत जिन कामों के कराए जाने की इजाज़त है, उसकी सूची का विस्तारकर ग्रामीण इलाकों में जीवन बेहतर बनाने में मदद करने वाली गतिविधियों को शामिल किया जाए; मजदूरी की दर के न्यायपूर्ण व वस्तुगत शिड्यूल के ज़रिए न्यमनतम मजदूरी सुनिश्चित की जाए; मजदूरी के एक हिस्से का भुगतान सस्ते अनाज के रूप में किया जाए।*

☐ *वेतनभोगी कर्मचारियों, पेंशनरों व वरिष्ठ नागरिकों को आयकर में राहत दी जाए।*

☐ *कृषि व सिंचाई में सार्वजनिक निवेश में भारी बढ़ोतरी की जाए; मूल्य समर्थन की व्यवस्था और बढ़े हुए आयात शुल्कों के ज़रिए फसलों की कीमतें बैठने के खिलाफ संरक्षण मुहैया कराया जाए।*

☐ *सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकारी हिस्सा पूंजी के और कम किए जाने को रोका जाए; बैंकिंग व बीमा में सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत किया जाए और प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए ऋण देने के कायदों का कड़ाई से परिपालन सुनिश्चित किया जाए; बैंकिंग नियमन (संशोधन) विधेयक को निरस्त किया जाए; विदेशी बैंकों द्वारा भारतीय बैंकों के अधिग्रहण को रोका जाए; बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अधिकतम सीमा बढ़ाने के लिए प्रस्तावित विधेयक को निरस्त किया जाए।*

☐ *पेंशन फंडों का कोई निजीकरण न हो। प्रोविडेंट व पेंशन फंडों को शेयर बाजारों की ओर बिल्कुल न मोड़ा जाए।*

☐ *कृषि क्षेत्र के लिए ज्यादा से ज्यादा 4 फीसद की ब्याज दर पर, संस्थागत ऋण सुनिश्चित किए जाएं।*

☐ *ग्रामीण इलाकों में बिजली की आपूर्ति में सार्वजनिक निवेशों का विस्तार किया जाए और बिजली का निजीकरण बंद किया जाए; खेती के लिए बिजली की अबाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए; सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाए।*

☐ *सभी काश्तकारों के लिए उचित दरों पर खेती में लगने वाली उम्दा सामग्री की व्यवस्था सुनिष्चित की जाए; किसान हितकारी बीज विधेयक लाया जाए।*

☐ *खेतमजदूरों के लिए एक अलग तथा सर्वसमावेशी केंद्रीय कानून बनाना, ताकि उनके लिए न्यूनतम मजदूरी, सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार और केंद्रीय फंडिंग के साथ पेंशन व दुर्घटना मुआवज़ा आदि सामाजिक सुरक्षा प्रावधान सुनिश्चित किए जा सकें।*

☐ *सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली फिर से लाना और गरीबी के दोषपूर्ण अनुमानों पर आधारित टार्गेटिड (लक्षित)*

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को छोड़ना; सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सस्ती दरों पर खाद्यान्नों का प्रावधान; सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए चीनी, दालों तथा खाना पकाने के तेल समेत 14 आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जाए; निजी नैगम कम्पनियों तथा बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा खाद्यान्नों की खरीदी पर अंकुश लगाया जाए।

☐ संसदीय स्थाई समिति की सिफारिशों के अनुरूप, सभी कृषि मालों पर वायदा करोबार पर रोक लगाई जाए।

☐ हथकरघा, नारियल जटा आदि परंपरागत उद्योगों के लिए संरक्षण; आयात शुल्कों के अंधाधुंध घटाए जाने और पहले से मौजूद भारतीय कम्पनियों का विदेशी कम्पनियों द्वारा अधिग्रहण किए जाने से घरेलु उद्योगों की हिफाजत की जाए; निजी क्षेत्र को विनिर्माण तथा सेवाओं के क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए; निजी क्षेत्र को दिए जाने वाले प्रात्साहनों को रोजगार निर्माण से और शोध व विकास के प्रयासों से जोड़ा जाए।

☐ सभी विशेष आर्थिक अंचलों में श्रम कानूनों का कड़ाई से पालन

☐ 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन में तय किए गए मानकों के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी की दरों में सुधार किया जाए; मूल्य सूचकांकों में संशोधन किया जाए; काम के ठेकाकरण तथा अस्थायीकरण को हतोत्साहित किया जाए।

☐ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों से संबंधित कानूनों में सुधार किए जाएं और इस सिलसिले में श्रम संबंधी स्थाई समिति की सिफारिशों को लागू किया जाए।

☐ गुप्त मतदान के जरिए ट्रेड यूनियनों की मान्यता का निर्णय और ट्रेड यूनियन अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाए।

☐ सभी मजूदरों के लिए, जिनमें सरकारी कर्मचारी शामिल हैं, संगठित होने, सामूहिक सौदेबाजी और हड़ताल के अधिकार की हिफाजत करना। संसद से कानून बनवाना, ताकि हड़तालों पर पाबंदी लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त किया जा सके।

☐ अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कन्वेंशन संख्या - 151 का अनुमोदन, जो सरकारी कर्मचारियों को उनकी प्रशासनिक जिम्मेदारियों को हिसाब में लेने के बाद ऐसे सारे अधिकार देती है जो अन्य नागरिकों को हासिल हैं।

☐ काम के सभी क्षेत्रों में महिला मजदूरों के लिए समान काम के लिए समान मजदूरी सुनिश्चित की जाए; कामगार महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के कदम उठाए जाएं, जिनमें घर से काम करने वाली मजदूरिनों समेत, असंगठित क्षेत्र में काम कर रही महिला मजदूरों को मातृत्व लाभ, पेंशन तथा स्वास्थ्य बीमा के लाभ दिलाना शामिल है।

☐ कार्यस्थलों पर महिला मेहनतकशों के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कदम उठाए जाएं और विशाखा केस में अदालत के फैसले के आधार पर कानून बनाया जाए।

☐ आंगनवाड़ी कर्मियों, आशाओं और भोजन माताओं को सरकारी कर्मचारियों के रूप में मान्यता देकर, उनके लिए रोजगार की तथा सामाजिक सुरक्षा मुहैया करायी जाए।

☐ मछली मजदूरों के लिए विशेष कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए, और उनके लिए पहचान पत्रों तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की व्यवस्था की जाए। विदेशी ट्रालरों तथा मछली पकड़ने वाले बड़े ट्रलरों के मछली पकड़ने के विनाशकारी तरीकों पर पाबंदी लगाई जाए। तटीय प्रबंधन क्षेत्र अधिसूचना मसौदे को निरस्त किया जाए।

☐ महिला आरक्षण विधेयक पारित कराना, ताकि विधायिकाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

☐ यौन हिंसा के खिलाफ जिसमें बच्चों के साथ यौन हिंसा भी शामिल है, एक सर्वसमावेशी कानून बनाना; तेजाब से हमलों के खिलाफ कानून और तेजाब के हमलों के पीड़ितों की मदद सुनिश्चित करने के लिए विशेष कदम।

☐ जाब्ता फौजदारी में हाल में किए गए संशोधनों के जरिए, महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित प्रावधानों में जो नरमी की गई है, उसे पलटा जाए।

☐ दहेज और कन्या भ्रूण हत्या के उन्मूलन को, एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में हाथ में लिया जाए।

☐ आइसीडीएस को सार्वभौम बनाना, ताकि छः वर्ष तक आयु के सभी बच्चों को इसके दायरे में लाया जा सके। आइसीडीएस का निजीकरण बंद हो।

☐ निजी शिक्षा संस्थानों में फीस, दाखिले तथा पाठ्यचर्या के नियमन के लिए कानून बनाया जाए; उच्च शिक्षा में कोई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नही आना चाहिए; विदेशी शिक्षा प्रदाता विधेयक को निरस्त किया जाए।

☐ एलीमेंटरी स्कूलों के शिक्षकों के वेतनमान में सुधार किया जाए; शिक्षा में अनौपचारिक रोजगार में लगे लोगों को नियमित किया जाए।

☐ सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत किया जाए तथा उसका विस्तार किया जाए, ताकि तमाम बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराए जाने की गारंटी की जा सके। सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के जरिए स्वास्थ्य रक्षा व्यवस्था का निजीकरण करने के रुझान को पलटा जाए।

आओ हम सुनिश्चित करें कि वाम पंथ, जोकि जनता को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है और मजदूर वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा करना उसका लक्ष्य है, को पंद्रहवीं लोकसभा में मजबूत बनाएं। ☐

ट्रेड यूनियनों की आयोजन समिति के आह्वान पर

हजारों मजदूरों की संसद पर जोरदार दस्तक

संसद पर 18 फरवरी को हुई देश भर के मजदूरों की रैली अगर उदार होकर कहा जाए तो भी विशाल थी। विशाल थी और रंगारंग थी। हर हाथ में झण्डा फहरा रहा था। दिल्ली में वर्षो बाद इस तरह की रैली हो रही थी। दिल्ली प्रशासन ने वर्षों बाद शहर के ह्रदय स्थल संसद मार्ग पर रैली आयोजित करने की इजाजत दी थी। आम तौर पर वह ऐसी इजाजत नहीं देती है।

यह विशाल उपस्थिति एक ऐसी स्थिति में रोष और आक्रोश की अभिव्यक्ति थी, जब मजदूर, किसान, खेत मजदूर और सेवा क्षेत्र के मजदूर रोजगार हानि, वेतन हानि, अनिश्चितता और अपने परिवारों के साथ भुखमरी का सामना कर रहे हैं।

संसद मार्ग पर सुबह से ही मजदूरों तथा कर्मचारियों की भारी भीड़ जमा होने लगी थी और दोपहर तक रामलीला मैदान से प्रदर्शनकारी भारी तादाद में वहां पहुंच रहे थे। इस अवसर पर संसद मार्ग पर एक मंच बनाया गया था, जहां से नेताओं ने इस विशाल रैली को सम्बोधित किया। यह पूरा क्षेत्र एक जन सागर में तबदील हो गया था और रैली में आए लोग सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध कर रहे थे और उनके खिलाफ नारे बुलंद कर रहे थे। सीआइटीयू के राष्ट्रीय सचिव स्वदेश देवराय, एटक की नेत्री अमरजीत कौर, एआइसीसीटीयू के नेता एन एन थॉमस, एआइयूटीयूसी के शंकर साहा, टीयूसीसी के डी एन झा और यूटीयूसी के अशोक घोष पर आधारित अध्यक्ष मण्डल ने इस रैली की अध्यक्षता की।

रैली को सीआइटीयू के अध्यक्ष कामरेड एम के पन्धे के अलावा एटक नेता गुरूदास दासगुप्ता, एआइसीसीटीयू के स्वप्न मुखर्जी, एआइयूटीयूसी के कृष्णा चक्रवर्ती, टीयूसीसी के एस पी तिवारी, यूटीयूसी के अबनी राय और फैडरेशनों की ओर से एआइबीईए के नेता वेंकटचलम, बीमा कर्मचारियों के संगठन एआइआइईए के नेता ए के भटनागर, प्रतिरक्षा कर्मचारियों के संगठन एआइडीईएफ के नेता एस एन पाठक, सीजीई के राघवेन्द्र तथा एआइएसजीईएफ के नेता सुकोमल सेन इत्यादि ने सम्बोधित किया।

सीआइटीयू अयक्ष एम के पन्धे ने रैली को सम्बोधित करते हुए जन विरोधी तथा मजदूर विरोधी नीतियों के लिए सरकार की कड़ी आलोचना की। उनका कहना था कि इन नीतियों के चलते औद्योगिक तथा कृषि दोनों ही क्षेत्रों के मजदूरों की रोजी–रोटी के लिए गम्भीर खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने बड़े पैमाने पर हो रही छंटनी, वेतन कटौती, रोजगार हानि आदि को रोकने के लिए कोई कदम न उठाने के लिए सरकार की कड़ी आलोचना की जबकि अमीर कारपोरेट घरानों को हजारों करोड़ रुपए की मदद दी जा रही है। उनका कहना था कि यूपीए सरकार ने अनेकों "अरबपति" भारतीय पैदा किए हैं। अब वही अमीर मजदूरों को काम से निकाल बाहर कर रहे हैं और उन्हें भूखों मरने के लिए छोड़ रहे हैं।

उनका कहना था कि सरकार के खिलाफ यह एक बड़ी लड़ाई की शुरूआत है और मजदूरों को इस सरकार को और उन पार्टियों को आने वाले चुनाव में मात देनी होगी, जो उनकी दुदर्शा के लिए जिम्मेदार हैं। रैली ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें उनकी 13 सूत्री मांगें शामिल हैं। इन मांगों में रोजगार सुरक्षा, बेहतर वेतन, कृषि और सामाजिक क्षेत्रों में और ज्यादा निवेश और नरेगा की तरह ग्रामीण तथा सभी शहरी गरीबों के लिए रोजगार की गारंटी करने जैसी मांगें शामिल हैं।

बाद में नेताओं की एक पांच सदस्यीय टीम ने रैली में आए लोगों और रैली में न आ सके लाखों मजदूरों की ओर से विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी को एक ज्ञापन दिया। □

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया

पंजाब

आंगनवाड़ी मुलाजम यूनियन पंजाब के आहवान पर 8 मार्च, अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जालंधर, पंजाब में देशभक्त यादगार हॉल में हजारों आंगनवाड़ी मुलाजमों और सहायिकाओं ने विशाल रैली निकालकर महिलाओं के अधिकारों और आर्थिक बराबरी के लिए संघर्ष को और तेज व्यापक बनाने का प्रण लिया। रैली की प्रधानता धरमजीत कौर ने की।

रैली को संबोधित करते हुए आंगनवाड़ी मुलाजम यूनियन पंजाब की प्रधान उषा रानी ने अपने संबोधन वक्तव्य में कहा कि जगत जननी कहलाने वाली औरत को पूंजीवाद, जागीर, समाज, आर्थिक सामाजिक बराबरी का अधिकार देने को हमेशा नकारता है। उन्होंने कहा कि आज के समाज में लाभ के लिए औरत को एक व्यापार के रूप में प्रयोग किया जाता है। आजादी के 62 साल बीत जाने के बाद भी औरतों की सामाजिक और आर्थिक समानता का अधिकार देने से हकीम श्रेणी भाग रही है। उन्होंने रैली में भाग लेने वाली महिलाओं का एकजुट होने का आह्वान किया।

यूनियन की जिला सचिव हरजीत कौर एवं कोषाध्यक्ष सुभाष रानी ने अपने संबोधन में कहा कि औरतों को समाज में बराबरी का अधिकार दिलाना औरतों की ही जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि वरन् वर्ग और इन्साफ पसंद लोगों की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने महिलाओं के प्रति सरकार के उदार रवैये की निंदा की।

यूनियन की संयुक्त सचिव सरबजीत कौर सरबजीत कौर अजनाला, प्रधान गुरमीत कौर एवं अन्य वक्ताओं ने आंगनवाड़ी मुलाजमों के अधिकारों के प्रति आवाज बुलन्द की। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी मुलाजिम अपनी मांगों को लेकर लगातार संघर्ष के रास्ते पर हैं। परन्तु वर्तमान सरकारें आंगनवाड़ी मुलाजमों की मांगों को लगातार अनदेखा कर रही हैं। जबकि साथ लगते राज्य हरियाणा की सरकार की ओर से आंगनवाड़ी मुलाजमों को राज्य की ओर से 1500रू दिए जा रहे हैं जबकि पंजाब सरकार की ओर से केवल 600रू और 300रू के साथ ही आंगनवाड़ी मुलाजमों का शोषण किया जा रहा है।

वक्ताओं ने केंद्र सरकार की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सुधार के नाम पर आंगनवाड़ी मुलाजमों के काम के समय में बढोतरी कर दी गई है और मिनी आंगनवाड़ी केंद्र खोलने की भी घोषणा कर दी है। वक्ताओं ने कहा कि आंगनवाड़ी मुलाजम का समय बढ़ाकर 6 घंटे तो कर दिया गया किन्तु उन्हें सरकारी मुलाजम क्यों नही बनाया गया। उन्होंने सरकार से मांग की कि आइसीडीएस स्कीम को नियमित करके आंगनवाड़ी मुलाजमों को दर्जा 3 और सहायिकाओं को दर्जा 4 के कर्मचारियों के रूप में नियमित किया जाए और पेंशन स्कीम लागू की जाए।

इस रैली में जिला भगत सिंह नगर (सीटू) के प्रधान महां सिंह रोड़ी ने विशेष रूप से पहुंचकर रैलीकारियों को संबोधित किया और कहा कि केंद्र सरकार द्वारा घरेलु हिंसा एक्ट तो बना दिया गया है परन्तु इसका लाभ लेने के लिए औरतों को अदालतों में 6–6 महिने चक्कर काटने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि ये सरकारें हमेशा ही मजदूर विरोधी और जनविरोधी नीतियां बनातीं हैं। इस रैली को बलविंदर कौर, गुरमेल कौर आदी नेताओं ने भी संबोधित किया। □

छत्तीसगढ़

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को भारतीय जीवन बीमा निगम कामगार महिला समिति तथा दूसरे महिला संगठनों की ओर से कामकाजी महिलाओं की समस्याओं को लेकर प्रदेशव्यापी धरना कार्यक्रम चलाया गया। प्रदेश के विभिन्न भागों से हजारों कामकाजी महिलाओं ने रायपुर में जोरदार धरना और रैली का आयोजन किया। गीता पण्डित, अरुणा वैश्णव एवं श्यामबाई वर्मा पर आधारित तीन सदस्यीय अध्यक्ष मण्डल की ओर से सभा का संचालन किया गया। वक्ताओं का कहना था कि बालिका भ्रूण हत्या ने प्रदेश में एक व्यवसाय का रूप ले लिया है। एक ओर महिलाएं शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक शोषण का शिकार हो रही हैं वहीं दूसरी ओर आर्थिक मंदी एवं बढ़ती महंगाई ने उनका एवं परिवार का जीवन दूभर कर दिया है। उन्होंने केन्द्र सरकार के कार्यालयों में अतिशीघ्र नयी भर्ती आरम्भ करने, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों में जारी छंटनियों को रोकने तथा देशव्यापी पैमाने पर महिलाओं पर बढ़ती हिंसा पर रोक लगाने और घरेलू हिंसा विरोधी कानून का कड़ाई से पालन करने की मांग की। धरने के बाद मुख्यमंत्री के नाम 11 सूत्रीय मांग पत्र प्रशासन को सौपा गया।

□

आइफा कार्यकारिणी कमेटी की बैठक

अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका फैडरेशन *(आइफा)* के पदाधिकारियों की बैठक 23 फरवरी 2009 और कार्यकारिणी कमेटी की बैठक 24–25 फरवरी को, नई दिल्ली में हुई। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, और पश्चिम बंगाल – 17 राज्यों से 35 सदस्यों ने बैठक में भाग लिया।

बैठक में राजनैतिक स्थिति और सरकार द्वारा आइसीडीएस में लाए जा रहे बदलावों पर विस्तार से चर्चा हुई और निम्न निर्णय लिए गए।

□ भाजपा और कांग्रेस की जन विरोधी और मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ अभियान में सक्रियता से भाग लिया जाए ताकि आगामी लोकसभा चुनावों में वामपंथ और विकल्प नीतियों को मजबूत बनाया जा सके। पर्चा और भिन्न प्रकार के प्रचार माध्यमों से आंगनवाड़ी कर्मचारियों और लाभार्थियों के बीच अभियान चलाया जाए।

□ आइफा का छठा अखिल भारतीय अधिवेशन 2008 की सदस्यता के आधार पर सितम्बर माह में चण्डीगढ़ में आयोजित किया जाएगा।

□ अखिल भारतीय अधिवेशन के अवसर पर एक पुस्तिका का प्रकाशित की जाएगी जिसमें आइफा और इसकी राज्य कमेटियों द्वारा किए गए प्रमुख संघर्ष, विभिन्न राज्यों में आंगनवाड़ी कर्मचारियों को प्राप्त लाभ और उन लाभों से संबंधित सरकारी आदेश शामिल होंगे।

□ सरकार द्वारा प्रधानमंत्री के आदेशानुसार गठित की गई समीक्षा कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। याद रहे कि आइफा द्वारा 2006 में 10 दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल के दबाव के कारण ही प्रधान मंत्री द्वारा सिफारिश कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी की सिफारिशों के अनुसार, भारत सरकार ने राज्य सरकारों को आंगनवाड़ी कर्मचारियों के काम की अवधि बढ़ाकर छः घंटे कर दी है। कार्यकारिणी कमेटी ने निर्णय लिया कि इसी पृष्ठभूमि के अनुसार न्यूनतम मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए संघर्ष को और भी तेज किया जाएगा।

□ 2009 का सदस्यता अभियान जून – जुलाई माह में आकर्षक तैयारी के साथ किया जाएगा। 2009 का सदस्यता कोटा 5,02,340 तय किया गया।

□ कमेटी में यह निर्णय भी लिया गया कि 2007 की सदस्यता के आधार पर 10 रू प्रति सदस्य संगठनात्मक फंड एकत्र किया जाएगा। □

पश्चिम बंगाल: आइसीडीएस यूनियन का सातवां सम्मेलन

पश्चिम बंगाल आइसीडीएस राज्य कर्मचारी यूनियन का सातवां सम्मेलन 16 से 18 जनवरी 2009 को साल्ट लेक कोलकाता में हुआ। सम्मेलन का आरम्भ धरमतला में रानी रश्मनी ऐवेन्यू में एक खुली रैली निकालकर हुआ। रैली में राज्यभर से 15 हजार से भी अधिक आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने भाग लिया। रैली की अध्यक्षता पश्चिम बंगाल सीआइटीयू की राज्य कमेटी के अध्यक्ष श्यामल चक्रवर्ती, अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका फैडरेशन की अध्यक्षा नीलिमा मैत्रा और कार्यकारी अध्यक्ष भबतोष रॉय और पश्चिम बंगाल आइसीडीएस कर्मी समिति की महासचिव रत्ना दत्ता ने की। सम्मेलन में 472 प्रतिनिधियों और आवेक्षकों ने भाग लिया। प्रतिनिधि सत्र का आरम्भ निरूपमा चटर्जी द्वारा झंडा फहराकर और शहीदों को श्रद्धांजली अर्पित कर हुआ था। श्यामल चक्रवर्ती ने सम्मेलन का उद्घाटन किया जिसकी अध्यक्षता निरूपमा चटर्जी के नेतृत्व में गठित किए गए अध्यक्ष मंडल ने की।

रत्ना दत्ता ने महासचिव की रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिस्थिति के साथ–साथ आंगनवाड़ी कर्मचारियों की स्थिति का विस्तृत वर्णन था। रिपोर्ट में राज्य संगठन की विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा और अनुभवों के

बारे में बताया गया था। सम्मेलन ने यूपीए सरकार के आइसीडीएस को समाप्त करने के कदम की कड़ी निंदा की और आइसीडीएस को बचाने के लिए एक राज्यव्यापी संयुक्त आंदोलन का आह्वान किया। रिपोर्ट पर बहस में 26 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और रत्ना दत्ता द्वारा जवाब देने के पश्चात् महासचिव की रिपोर्ट और लेखाजोखा रिपोर्ट जिसे राज्य कोषाध्यक्ष मानुषी दास ने प्रस्तुत किया था, सर्वसम्मति से पारित कर दी गई।

चटकल मजदूर यूनियन के गोबिंद गुहा, म्युनिसिपल वर्कर्स यूनियन के शुक्ला घोषल, राइटर्स एंड आर्टिस्ट ऐसोसिएशन के अरिंदम चटर्जी, बांग्ला साक्षरता प्रसार समिति की उमा शंकर रॉय और अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की मिनाती घोष और श्यामली गुप्ता ने सम्मेलन को बधाई दी। ब्रजगोपाल नेगी ने क्रेडेंशियल रिपोर्ट प्रस्तुत की।

सम्मेलन में एक 27 सदस्यीय कमेटी का चुनाव किया गया जिसमें निरूपमा चटर्जी को अध्यक्ष, आरती दास गुप्ता कार्यकारी अध्यक्ष, रत्ना दत्ता को महासचिव तथा मानुषी दास को अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया गया। सम्मेलन में एक 7 सदस्यीय सलाह समिति भी गठित की गई। □

दिल्लीः प्रतिनिधिमंडल महिला एवं बाल विकास मंत्री से मिला

दिल्ली के आंगनवाड़ी कर्मचारी 2006 से अपनी जायज़ मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राज्य की आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हैल्पर्स यूनियन द्वारा इस समय दौरान बहुत से संघर्ष किए गए और यूनियन भी कुछ मजबूत हुई है।

यूनियन ने इन्ही मागों और स्थानीय मुद्दों पर बहुत से महत्वपूर्ण संघर्ष किए जिनमें गैर सरकारी संगठनों से आंगनवाड़ी कर्मचारियों को वेतन दिलवाना शामिल है। गैर सरकारी संगठनों के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों भ्रष्टाचारयुक्त क्रियाप्रणाली व्याप्त थी, जिस पर यूनियन के संघर्ष के कारण सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों को गैर सरकारी संगठनों से वापस ले लिया गया।

देशभर के लाखों आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लम्बे संघर्ष के बाद जिसे अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका फैडरेशन के झंडे तले चलाया गया था, केंद्र सरकार को मजबूर और शर्मिंदा होकर वेतन बढ़ाना पड़ा – वर्करों के लिए रू 500 की बढ़ोतरी की और हैल्परों को रू 250 की। इसके साथ–साथ दिल्ली सरकार की ओर से भी 500रू बढ़ाने की घोषणा की गई परन्तु घोषणा के दस माह बाद भी इसका भुगतान नही कियां गया। इस नाकाफी बढ़ोतरी के बांद भी आंगनवाड़ी कर्मचारियों का वेतन दिल्ली के कानूनी न्यूनतम वेतन का आधा या एक तिहाई मात्र ही है।

ऐसे ही मुद्दों को लेकर दिल्ली आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हैल्पर्स यूनियन की महासचिव कमला, यूनियन कमेटी सदस्या रूपा एवं इंद्राणी मजूमदार सहित एक प्रतिनिधिमंडल 5 मार्च 2009 को दिल्ली की महिला एवं बाल विकास मंत्री किरण वालिया से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने उनके सामने कुछ वक्तव्य प्रस्तुत कियाः–

1. आंगनवाड़ी कर्मचारियों को पिछले बजट में घोषित किया गया मानदेय अरियर के साथ तुरन्त भुगतान किया जाए।
2. सेवानिवृत्त किए जा रहे आंगनवाड़ी सेविकाओं को एक लाख रू और सहायिकाओं को पचास हजार रू एक्स ग्रेशिया दिया जाए, इन्हें पेंशन व सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ उपलब्ध कराए जाएं।
3. गैर सरकारी संगठनों के भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए और सुनिश्चित किया जाए कि इन संगठनों द्वारा चलाए जा रहे आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यकर्ताओं को पूरा वेतन मिले।
4. आइसीडीएस की कार्यप्रणाली को ध्वस्त होने से बचाने के लिए सरकार और कार्यकर्ताओं के बीच नियमित बातचीत
5. सुपरवाइज़र पद की भर्ती के लिए आंगनवाड़ी सेविकाओं की आयु सीमा घटाई जाए।

किरण वालिया यूनियन को आश्वासन दिया कि 31 मार्च 2009 से पूर्व केंद्र व राज्य सरकार द्वारा बजट में घोषित बढ़ा हुआ मानदेय एक साल के अरियर के साथ भुगतान कर दिया जाएगा और कंटिजेंसी, मेडिकल किट इत्यादी भी उपलब्ध कराई जाएगी। पूरक पोषण की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा और सुपरवाईज़र पदों की भर्ती में आंगनवाड़ी सेविकाओं की आयु सीमा को हटा दिया जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन को सेवानिवृत्ति के समय विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होनें भरोसा दिलाया कि विभाग दिल्ली बजट से पूर्व सरकार को प्रस्ताव पेश करेगा जिसमें आंगनवाड़ी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त आबंटन की सिफारिश होगी।

परन्तु जैसा कि कहा ही जाता है कि कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है, किसी को भी बिना संघर्ष कभी कोई लाभ प्राप्त नही होता। इसलिए यूनियन इन्हें लागू करवाने के लिए संघर्ष को और भी तेज करने के साथ साथ संगठन को मजबूत बनाने के लिए अभियान चलाने का निर्णय लिया। □

हरियाणाः आंगनवाड़ी कर्मचारियों की जीत रैली

हरियाणा आंगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हैल्पर्स यूनियन, सुपरवाईजर एसोसिएशन तथा आंकड़ा सहायकों की संयुक्त रैली का आयोजन 20 फरवरी, 2009 को रोहतक में किया गया।

भारत सरकार द्वारा अपने संघर्षों के बलबूते पर आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए 1000रू और सहायिकाओं के लिए 500रू की मानदेय वृद्धि हासिल करने पर यह रैली आयोजित की गई थी। इसलिए प्रदेश के 20 जिलों से लगभग 5000 आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं, सुपरवाइज़रों और आंकड़ा सहायकों ने इस रैली में भाग लिया। पहली बार एक विभाग की तीन यूनियनों ने सरकार के विरुद्ध एक साथ एकजुट होकर संघर्ष की घोषणा की, जिसका असर सरकार पर बने दबाव के रूप में साफ नजर आया।

रैली की अध्यक्षता आंगनवाड़ी कर्मचारियों की नेत्री देवेन्द्री शर्मा तथा सुपरवाइजर एसोसिएशन की उपाध्यक्ष सुशीला देवी ने की जबकि मंच संचालन दया सैनी और अनिता सिंह की ओर से किया गया। रैली को यूनियन की अध्यक्षा रत्नेश कुमारी और महासचिव संतोष रावल के अलावा सर्व कर्मचारी संघ के महासचिव आर सी जग्गा, सीआइटीयू की हरियाणा राज्य समिति के महासचिव सुरेन्द्र मलिक तथा पंजाब आंगनवाड़ी मुलाजम यूनियन की अध्यक्ष ऊषा रानी इत्यादि नेताओं ने भी सम्बोधित किया।

ऊषा रानी आंगनवाड़ी कर्मचारियों के राष्ट्र स्तरीय संघर्षों का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि हमारे संघर्षों के दबाव के कारण ही सरकार द्वारा यह वृद्धि करवा पाना संभव हुआ है। उन्होंने कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे अपनी जायज मांगों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष को और भी तेज करें।

भीड़ को संबोधित करते हुए संतोष रावल ने यूनियन द्वारा किए गए संघर्षों और प्राप्त लाभों का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि सरकार से 1000रू और 500रू की वृद्धि करवा पाना यूनियन की एक जीत है, परन्तु हम इसी से संतुष्ट नही हैं। हमें अपनी और भी जायज़ मांगों को हासिल करने के लिए संघर्ष और भी तेज करना होगा ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके।

अन्य वक्ताओं द्वारा हुड्डा सरकार को वेतन संबंधी विसंगतियां दूर करने की मांग करते हुए चेतावनी दी गई कि अगर इन विसंगतियों को जल्दी दूर न किया गया तो सर्व कर्मचारी संघ और आंगनवाड़ी कर्मचारी अपना आंदोलन तेज करने पर मजबूर होंगे। □

राजस्थानः आंगनवाड़ी कर्मचारियों का विशाल प्रदर्शन

राजस्थान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका यूनियन (सीटू) के नेतृत्व में आंगनवाड़ी कर्मचारियों और आशा सहयोगीनियों व साथियों ने 25 फरवरी, 2009 को जयपुर में विधान सभा के आगे जुझारू प्रदर्शन किया। अंत में मुख्य मंत्री के नाम 13 सूत्रीय मांगों पर आधारित ज्ञापन दिया गया। प्रदर्शन में एक हजार से अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया। ये कर्मचारी सीकर, चुरू, जयपुर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, दौसा, नीम का थाना आदि जिलों व क्षेत्रों के दूर–दूर के गावों और ढाणियों से आए थे। प्रदर्शन से पहले जुलूस निकाला गया जिसका नेतृत्व यूनियन की राज्य अध्यक्ष सुशीला कंवर, महासचिव चंद्रावती और सीआइटीयू के राज्य सचिव हजारी लाल शर्मा इत्यादि नेता कर रहे थे। क्योंकि 25 तथा 26 फरवरी को मात्र दो दिन के लिए राज्य विधान सभा का सत्र बुलाया गया था इसलिए इस कार्यक्रम की तैयारियां थोड़े समय में ही की गई थीं। इस अवसर पर आयोजित सभा को उक्त नेताओं के अलावा आंगनवाड़ी मुलाजम यूनियन पंजाब की अध्यक्ष ऊषा रानी तथा सीपीआइ (एम) विधायक आमरा राम ने भी सम्बोधित किया। बाद में आमरा राम विधायक के नेतृत्व में आंगनवाड़ी कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमण्डल मुख्य मंत्री से मिलने गया किन्तु उनकी अनुपस्थिति में सम्बद्ध अधिकारियों को तेरह सूत्रीय मांग पत्र भेंट किया गया। □

फ्रांस में मजदूरों की जोरदार हड़ताल

भूमण्डलीयकरण की प्रक्रिया के चलते आखिरकार यह कठोर सच्चाई लोगों के सामने आ ही चुकी है कि यह संकट का भूमण्डलीयकरण है समृद्धि का भूमण्डलीयकरण नहीं। सबसे अधिक अमीर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में अधिक से अधिक या दूसरे शब्दों में कहें तो सुपर प्राफिट कमाने की लालसा, लालच एवं ललक ने ही यह खतरनाक हालत पैदा की है। उन्होंने आम लोगों को नुकसान पहुंचाया है विशेष तौर पर मजदूर वर्ग वह चाहे अमरीका का हो या जापान का या भारत का या युरोप का और या चीन का, उसे नुंकसान पहुंचाया है।

सब जगह एक ही तस्वीर देखने को मिलेगी। अमरीका में दसियों लाखों मजदूर अपना रोजगार खो चुके हैं और जिनका रोजगार नहीं गया यदि उन्हें भाग्यशाली कहा जाए तो उनके वेतनों में भी जबरदस्त गिरावट आ चुकी है। उन्हें कम वेतन पर कई–कई घण्टे काम करना पड़ता है। उनमें से अधिकतर लोगों को मालिकों की ओर से अल्टीमेटम दिए जा चुके हैं जिनमें साफ कहा गया है कि वे रोजगार की नयी शर्तें माने या फिर काम छोड़ कर चलते बने।

हर जगह इसका विरोध हो रहा है। ग्रीस से लेकर इंग्लैंड तक पूरे युरोप में हड़तालों की लहर चल रही है। विशेष तौर पर फ्रांस में जुझारू प्रदर्शनों की बाढ़ आ चुकी है। देश के विभिन्न भागों में यह रोजमर्रा की बात बन चुकी है। कालेज और स्कूल भी इससे अछूते नहीं रहे। राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी की मौजूदा सरकार अब भी दक्षिणपंथी आर्थिक नीतियों पर अमल कर रही है। वह बैंकों तथा दूसरे वित्तीय संस्थानों को बेल आऊट दे रही है किन्तु मजदूरों को इस संकट से निकालने के लिए कुछ नहीं कर रही।

मजदूरों की ओर से इस वर्ष पहली बार 29 जनवरी को देशव्यापी प्रदर्शन किए गए थे जिनमें तीस लाख से अधिक मजदूरों ने भाग लिया था। मजदूरों के परिवारों के सदस्यों, दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों और स्कूलों एवं कालेजों में पढ़ने वाले छात्रों ने भी बहुत बड़ी संख्या में इन प्रदर्शनों में शिरकत की थी। उनकी नजर में सरकोजी एक खलनायक से कम नहीं हैं और उनके गुस्से का निशाना भी सरकोजी ही था क्योंकि उसने लोगों की शिकायतों एवं दुःखों–तकलीफों को सुनने से ही इन्कार कर दिया है। अनेक लोगों ने चे ग्वेरा की तस्वीरों वाली शर्ट पहन रखी थीं और इस तरह वे वाम पक्षी जन पक्षीय अर्थव्यवस्थाओं के प्रति अपने विश्वास की अभिव्यक्ति कर रहे थे और उसका खुल कर ऐलान कर रहे थे। लोगों ने फ्रांस के सभी बड़े उप नगरों में मार्च किया; उस दिन सभी कार्यालय, शिक्षण संस्थान तथा कारखाने बंद रहे और शहर की परिवहन व्यवस्था भी पूरी तरह ठप्प हो कर रह गई थी। ओरली एयरपोर्ट भी आधा बंद रहा। पचास प्रतिशत से अधिक रेल सेवाएं रद्द कर दी गई थीं।

याद रहे, उदारीकरण की मौजूदा आर्थिक नीतियों के चलते देश में बीस लाख से अधिक मजदूर अपना रोजगार खो चुके हैं। यह आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि आने वाले दिनों में दस लाख से अधिक मजदूरों की रोजी–रोटी छिन जाएगी। बेरोजगारी अपने पिछले सारे रिकार्ड तोड़ चुकी है। इसकी दर अब दस प्रतिशत से अधिक हो गई है। यह संकट कितना भयानक है इसका वर्णन लोगों की इस व्यथा से हो जाता है:

एक छात्र ओरलियान का कहना है *"मेरे जैसे नौजवानों का भविष्य बेहद अंधकार पूर्ण दिखाई दे रहा है जिसे देख कर डर लगता है।"* इसके चलते वह हड़ताल में भाग लेने के लिए प्रेरित हुआ। रेलवे में काम करने वाले एक मजदूर जेन सलौदे का कहना है, *"पंद्रह वर्षों तक कड़ी मेहनत करके भी मैं केवल 1200 युरो डॉलर प्रति मास कमा रहा हूं और हम पर काम का बोझ कई गुणा बढ़ा दिया गया है और हमारे यहां काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या बेहद कम है। मेरे लिए दो वक्त की रोटी जुटा पाना मुश्किल है।"*

टोटल, आर्सेलर–मित्तल, कांटीनैंटल ऑटो पार्टस् की ओर से व्यापक स्तर पर रोजगार में कटौती कर दी गई है। दूसरे क्षेत्रों तथा सेवाओं में भी लगभग इसी तरह की हालत है। जो स्टीमुलस पैकेज लाया गया वह भी भारत की तरह बैंकों के लिए था और वह भी नगदी के उच्चतर प्रवाह को बनाए रखने के लिए। यूनियनों ने न्यूनतम वेतन बढ़ाने, मजदूरों को आय कर में छूट देने, प्रशासन तथा सार्वजनिक सेवाओं में रोजगार की कटौती बंद करने और रोजगार क्षति होने की स्थिति में मजदूरों को और सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। यह आंदोलन चल रहा है और आने वाले दिनों में यह और अधिक जुझारू हो जाएगा।

आज के संदर्भ में फ्रांस के मजदूरों और कर्मचारियों की हड़ताल विश्व के सम्पूर्ण मजदूर वर्ग के गुस्से और नाराजगी की अभिव्यक्ति है। सामाजिक दृष्टि से जागरूक प्रत्येक समाज शास्त्री और अर्थशास्त्री भूमण्डलीय मंदे से पैदा हालत पर अपनी चिंता व्यक्त कर चुका है। वे लोग चेतावनी देते चले जा रहे हैं कि मौजूदा आर्थिक संकट की हालत आने वाले दिनों में बद से बदतर हो जाएगी। सरकोजी जैसे दक्षिणपंथी नेताओं ने साबित कर दिया है कि वे मजदूरों और आम जनता की समस्याओं, तकलीफों तथा दुःखों के बारे में कतई संवेदनशील नहीं हैं। फ्रांस की हड़ताल मजदूर वर्ग के जुझारू संघर्ष के महत्त्व को उजागर करती है। □

फ्रांस में हड़तालः एक जोरदार विश्वव्यापी आंदोलन की शुरूआत

के हेमलता द्वारा, अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति (सीटू) के लिए, ए–13, राउस ऐवेन्यू, नई दिल्ली से संपादित एवं प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए–21, झिलमिल इंडस्टीयल एरिया, जी टी रोड, शाहदरा दिल्ली–95 से मुद्रित